Notice board
प्रति

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

A+ NAAC

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक),0771–2262540 (कुलसचिव),फैक्स–0771–2262818, 2262607, ई–मेलः academicprsu3@gmail.com

क्रमांक 2278/अका./वार्षिक पद्धति–पाठ्यक्रम/2025 रायपुर, दिनांकः 02/11/12/2025

3/12/2025

।। अधिसूचना।।

स्नातक स्तर (बी.एस.सी., बी.एस.सी. (गृह विज्ञान), बी.कॉम., बी.ए., बी.ए. अतिरिक्त विषय, बी.सी.ए.) के ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने पूर्व वर्ष/वर्षों में पुराने वार्षिक परीक्षा पद्धति पाठ्यक्रम से स्नातक प्रथम वर्ष अथवा द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तथा अगली कक्षा–द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष की परीक्षा में नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, उनके परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा में शामिल होने हेतु अवसर के संबंध में विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 04.11.2025 में किए गए अनुशंसा को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.11.2025 में **निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है :–**

392
03/12/25

1. बी.सी.ए., बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में स्वाध्यायी परीक्षा का प्रावधान नहीं होने के कारण पुराने पाठ्यक्रम वाले छात्रों को पुराने पाठ्यक्रम से परीक्षा में सम्मिलित होना होगा तथा संबंधित अध्यादेश में यथा उल्लेखित प्रावधानुसार परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाए।
2. अन्य पाठ्यक्रमः–बी.एस.सी., बी.एस.सी. (होम साइंस), बी.कॉम. एवं बी.ए./बी.ए. अतिरिक्त विषय पुराने पाठ्यक्रम वाले छात्रों को **निम्नानुसार पात्रता होगी :–**

क्र.	सत्र	पाठ्यक्रम वर्ष	अनुशंसा
1	सत्र 2025–26	भाग–दो	सत्र 2024–25 में भाग–2 हेतु प्रचलित पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा में नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दिया जा सकता है।
		भाग–तीन	भाग–3 सत्र 2025–26 हेतु प्रभावशील पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा में नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दिया जा सकता है।
2	सत्र 2026–27	भाग–तीन	सत्र 2025–26 में भाग–3 हेतु प्रभावशील पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा में नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दिया जा सकता है।

टीप :–

(i) उपरोक्तानुसार सत्र 2025–26 में भाग–2 की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी सत्र 2026–27 में भाग–3 की परीक्षा में, भाग–3 सत्र 2025–26 हेतु प्रभावशील पाठ्यक्रमानुसार सम्मिलित होंगे। साथ ही –

- यदि छात्र सत्र 2025–26 में भाग–2 में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें सत्र 2026–27 में पुनः भाग–2 की परीक्षा, सत्र 2024–25 में भाग–2 हेतु प्रचलित पाठ्यक्रम अनुसार सम्मिलित होना होगा तथा
- सत्र 2027–28 में भाग–3 की परीक्षा, सत्र 2025–26 में भाग–3 हेतु प्रभावशील पाठ्यक्रम अनुसार सम्मिलित होंगे।
- सत्र 2025–26 में भाग–2 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को 2027–28 तक पाठ्यक्रम पूर्ण करने की पात्रता होगी।

(ii) सत्र 2025–26 में भाग–3 की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को सत्र 2026–27 तक पाठ्यक्रम पूर्ण करने की पात्रता होगी।

(iii) **स्नातक स्तर पर NEP- 2020 सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम प्रभावशील होने के कारण सत्र 2027–28 के पश्चात स्नातक स्तर वार्षिक पद्धति की परीक्षाएं आयोजित नहीं किया जावेगा।**

कार्यपरिषद के अनुमोदन अनुसार,

कुलसचिव